

राजस्थान CM रोजगार सृजन योजना (CMRSY) 2022

- राजस्थान सरकार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नौकरी रहित उम्मीदवारों को उपयुक्त नौकरी मिले। इस उद्देश्य के लिए बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसा और ट्रेनिंग दोनों मिलेंगे।
- राजस्थान सरकार प्रत्येक पंचायत समिति में 100 बेरोजगार युवाओं को लक्षित करेगी, जिन्हें ब्याज दर सब्सिडी के साथ ऋण दिया जाएगा।
- CMRSY (पिछली BRSY योजना) के तहत सभी बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण पर 8% ब्याज सब्सिडी दी जाती है।
- ऋण की अधिकतम सीमा है:
 - रु. 10 लाख सेवा और व्यापार गतिविधि के लिए तथा
 - रु. 25 लाख मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए होने चाहिए।



CM रोजगार सृजन योजना आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

- आवेदकों की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सभी स्रोतों से ऋण लेने वाले उम्मीदवारों के परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- CMRSY आवेदन के अप्रूवल के बाद, उम्मीदवारों को अधिकतम रु. 10 लाख का लोन, उनके प्रोजेक्ट और स्कोप के आधार पर सर्विस मिलेगा।
- इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए, उम्मीदवार 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- CMRSY में, राज्य सरकार ग्रांट के रूप में ऋण राशि पर 8% तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान करेगी।



CMRSY बनाने की औपचारिकताएं / बीआरएसवाई रजिस्ट्रेशन

- ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जमा करनी होगी।
- ऋण चाहने वाले उम्मीदवारों से एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- CMRSY लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भामाशाह / जन आधार कार्ड होना चाहिए।
- इसके अलावा, एफिडेविट की 2 फोटोकॉपी निकटतम डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री ऑफिस में जमा करनी होंगी।
- उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र ऋण के लिए अप्रूवल प्राप्त करने के बाद जमा किए जायेंगे।

